श्री राजेश कुमार, अपर समहार्त्ता(वि०जाँच), पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक– 31.08.2014 को आर०टी०पी०एस० से संबंधीत बैठक की कार्यवाही :–

10064

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुसार।

समीक्षात्मक बैठक में प्रारम्भिक उद्‌बोधन में अपर समहार्त्ता (वि०जाँच) द्वारा बताया गया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में सामान्यतया आम जन जिन कार्यो के लिए ज्यादा संख्या में आते है उन सभी कार्यो को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत "सेवाओं" के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। **अधिसूचित सभी सेवाओं ससमय उपलब्ध कराना संबधित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का प्रमुखतम दायित्व है।**

आर०टी०पी०एस० अन्तर्गत प्रखंड-सह-अंचल वार प्राप्त-निष्पादित एवं निष्पादन हेतु लंबित आवेदन-पत्रों कि विवरणी(दिनांक 30.08.2014 के अनुरूप) **अनुलग्नक "Server Report"** पर द्रष्टव्य है :-

समीक्षोपरान्त अनुपालनार्थ निदेश :-

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में सही तरीके से Synchronization नहीं करने के कारण Server के डाटा एवं कार्यालय के डाटा में अन्तर है। इस पर सभी आई०टी० सहायक/कार्यपालक सहायक को आदेश दिया गया कि यदि संध्या 5:00 बजे तक Synchronization नहीं होता है तो वे डाटाबेस जिला लाकर पूर्णतः Synchronization करेंगे।
- समीक्षा के क्रम में आई०टी० सहायक, अमौर, डगरूआ, बायसी द्वारा बताया गया कि प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में इन्टरनेट नहीं रहने के कारण डाटा Synchronization, ई-मेल चेक एवं ऑनलाईन आवेदन पर काम करने में काफी परेशानी होती है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी अंचलाधिकारी एवं अनुमंडलाधिकारी को आदेश दिया गया कि **ऑफिस कार्य के लिए 3G का अनलिमिटेड मासिक 750 रुपये का प्लान वाला इंटरनेट सुविधा आई०टी० सहायक को** उपलब्ध कराएँगे।
- समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को आदेश दिया गया कि आर०टी०पी०एस० के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का ससमय निष्पादन करें।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे प्रत्येक दिन संध्या 04:30 से 05:00 बजे तक आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के साथ बैठक करेंगे एवं तीन दिनों के बाद जो भी आवेदन Expired होंगे उनकी सूची लेकर कृत कार्रवाई करेंगे।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अचंल अधिकारी एवं सभी आई०टी० सहायक को निर्देश दिया गया कि साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में संबंधित नोडल पदाधिकारी को आर०टी०पी०एस० से संबंधित प्रतिवेदन अचूक रूप से देना सुनिश्चित करेंगे। नोडल पदाधिकारी, आर०टी०पी०एस०, पूर्णियाँ को ससमय यह प्रतिवेदन उपलब्ध करावेंगे जो इसकी समीक्षा कर समिक्षात्मक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष स्वयं अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि आर0टी0पी0एस0 मद में उपलब्ध कराय गये राशि का उपयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे ।
- समीक्षा के क्रम में आई0टी0सहायक द्वारा बताया गया कि दाखिल खारिज से संबंधित अभिलेख ससमय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण आवदेन EXPIRED हो जाते है । सभी अंचलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि ससमय अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- समीक्षा के क्रम मे पाया गया कि राज्य स्तरीय रैंकिंग में पूर्णियाँ जिला का स्थान 28 (अठाईस) पर है, जो काफी खेदजनक है। इस पर सभी आर0टी0पी0एस0 अपीलीय पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि जो भी आवेदन समय सीमा के पश्चात् लंबित एवं समय सीमा के पश्चात् निष्पादित हो उस सभी आवेदनों को Suo moto के तहत शतप्रतिशत अपील में लेते हुए जिला आर0टी0पी0एस0 ई-मेल (purniartps@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करें ।
- जिला के सभी आर0टी0पी0एस0 अपीलीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि दिनांक 04.09.2014 को अपने संबंधित कार्यालय से EXPIRED एवं समय सीमा के बाद निष्पादित आवेदन पर अपील की कार्यवाही करते हुए अपील के दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 4:00 बजे से बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे ।
- समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को आदेश दिया गया कि अगले माह की बैठक माह के अंतिम शनिवार (यदि शनिवार को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस) को संध्या 5:00 बजे से समाहरणालय सभा कक्ष में आहूत की जायेगी, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी आई0टी0 सहायक एवं सभी कार्यालय के एक कार्यपालक सहायक के साथ ससमय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे ।
- समीक्षा क्रम में नोडल पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि जिला के सभी अंचल कार्यालय में प्राप्त दाखिल खारिज आवेदन का रजिस्टर एक समान नहीं है। जिसमें आदेश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 में दिये गए दिशानिदेश के अनुकूल रजिस्टर तैयार कर संधारित करें ।
- सभी आई0टी0 सहायकों एवं सभी कार्यपालकों को आदेश दिया गया कि अगले दिन निष्पादित किये जाने वाले आवेदनों की सूची सूचना पट्ट पर एक दिन पहले लगाना सुनिश्चित करें ।
- समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में कार्यपालक सहायकों की काफी कमी है, जिसके कारण आर0टी0पी0एस0 जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में स्वीकृत पद के अनुरूप कार्यपालक सहायक की रिक्तियाँ पूरी की जाय ।
- समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कसबा द्वारा बताया गया कि कसबा प्रखंड में आई0टी0 सहायक अपना योगदान नहीं दिये है, जिसके कारण कार्यो में काफी परेशानी हो

रही है। स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है, इस पर कृत कार्रवाई करें।

बैठक की कार्रवाई सधन्यवाद समाप्त की गई।

2/9/14

अपर समाहर्त्ता, (वि०जाँच)
-सह-
वरीय पदाधिकारी, आर०टी०पी०एस०,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक....98..../आर०टी०पी०एस० पूर्णियाँ, दिनांक..02/09/14

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक सहायकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी आई०टी० सहायकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ।

2/9/14

अपर समाहर्त्ता, (वि०जाँच)
-सह-
वरीय पदाधिकारी, आर०टी०पी०एस०,
पूर्णियाँ।